

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक / व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम :	बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।		
2	आवेदक-आवेदक विभाग का नाम	आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक ,एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर।		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		बस्तर	बस्तर, वनमण्डल जगदलपुर	ग्राम चोकावाड़ा
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	क: आरक्षित वन	—	—	—
	ख : सीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	ग : असीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	घ : राजस्व वन भूमि (छोड़े/बड़े झाड़ के जंगल)	ग्राम— चोकावाड़ा	ख.नं. 640	1.700
			ख.नं. 638	8.100
		योग :- 9.800 हे.		
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	Open Forest		
7	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	निरंक		

8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू. डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	मुख्य मार्ग एन.एच. 63 से लगभग 0.500 कि.मी. मीटर दूरी पर है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	आवश्यकता नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तों संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- जगदलपुर
दिनांक :- 24/2/2023


वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर